

Filling no. RCS-A/412/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 98 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)**

Filling no. RCS-A/412/2017

CNR no. MP30010038242017

सिविल वाद क्रमांक 98 ए/2017

सोबरन सिंह पुत्र स्व0 फूलसिंह भदौरिया,
उम्र-65 वर्ष, निवासी-ग्राम चाचर, परगना-अटेर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....वादी

///बनाम///

1. गुरुबख्श सिंह पुत्र स्व0 फूल सिंह भदौरिया, उम्र-75 वर्ष
2. सीताराम सिंह, उम्र-60 वर्ष
3. राधेश्याम सिंह, उम्र-55 वर्ष
4. घनश्याम सिंह, उम्र-45 वर्ष

तीनों पुत्रगण-स्व0 दल सिंह भदौरिया
सभी निवासीगण-ग्राम चाचर, परगना-अटेर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....असल प्रतिवादीगण

5. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....तरतीबी प्रतिवादी

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री रविन्द्र सिंह भदौरिया।
प्रतिवादीगण एकपक्षीय।

///आदेश///

(आज दिनांक **08.09.2017** को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।
2. इस मामले में ग्राम चाचर, तहसील अटेर, भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 250 क्षेत्रफल 0.44 हे0 के अंशभाग 0.11 हे0 (आगे "विवादित भूमि" से संबोधित) पर स्वत्व घोषणा, कब्जे में हस्तक्षेप के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2017 को शून्य घोषित किये जाने का विवाद है।

3. वादी का आवेदन यह है कि वादी, उसके सगे भाई प्रतिवादी क्रमांक 1 गुरुगच्छा सिंह व रामबरन सिंह का वर्ष 1993 तक संयुक्त हिन्दू परिवार था और तीनों भाई साथ-साथ रहते थे। वादी ने दूध के विक्रय व कृषि से प्राप्त आय से विवादित भूमि शिवराज पुत्र भंवर सिंह से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.07.1985 से क्रय की और सबसे बड़े भाई प्रतिवादी क्रमांक 1 गुरुबच्छा सिंह के नाम पर बयनामा करा दिया। बयनामा दिनांक 10.07.1985 से ही विवादित भूमि पर वादी का कब्जा है, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कोई प्रतिफल नहीं दिया था और प्रतिवादी क्रमांक 1 का वेतन उसकी आठ पुत्रियों के भरण-पोषण हेतु ही पर्याप्त नहीं था। वर्ष 2000 में वादी, उसके भाई रामबरन सिंह और प्रतिवादी क्रमांक 1 गुरुबच्छा सिंह ने आपसी सहमति से घरेलू बंटवारा कर लिया और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.07.1985 से क्रय की गयी विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 गुरुबच्छा सिंह द्वारा घरेलू बंटवारे में वादी के हिस्से में दे दी गयी। वास्तव में प्रतिवादी क्रमांक 1 गुरुबच्छा सिंह का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा और प्रतिवादी क्रमांक 1 की छोटी पुत्री अर्चना के विवाह के समय प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी से एक लाख रुपये प्राप्त कर यह वचन भी दिया था कि वह विवादित भूमि का बयनामा वादी के पक्ष में कर देगा।

4. आगे आवेदन यह है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 पिछले आठ वर्ष से वादी के पक्ष में बयनामा करने का आश्वासन देता रहा और अचानक दिनांक 21.06.2017 को बिना कब्जा परिदत्त किये एक नुमाइशी विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 2 से 4 के पक्ष में निष्पादित कर दिया। वादी, उसका पुत्र व पुत्रवधू बीमार प्रतिवादी क्रमांक 1 व उसकी पत्नी की देखभाल भी कर रहे हैं, प्रतिवादी क्रमांक 1 पिछले पांच वर्षों से अक्सर बीमार रहता है, उसे दिखायी व सुनायी भी नहीं देता और प्रतिवादी क्रमांक 1 की कमजोर शारीरिक स्थिति का लाभ लेकर उसकी पुत्री ज्योति व दामाद ने वादी के सगे भाई प्रतिवादी क्रमांक 1 को भड़काकर व गुमराह करके रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2017 प्रतिवादी क्रमांक 2 से 4 के पक्ष में निष्पादित करा दिया है। वास्तव में उक्त विक्रय पत्र के अनुशरण में मौके पर कोई कब्जा नहीं दिया गया है और बयनामा दिनांक 10.07.1985 से आज तक विवादित भूमि पर वादी का ही वास्तविक कब्जा है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2017 के निष्पादन के बाद प्रतिवादीगण द्वारा संस्थित नामांतरण प्रकरण में वादी ने आपत्ति भी की और नायब तहसीलदार ने पटवारी व पंचायत सचिव को नामांतरण न करने का आदेश भी दिया है। वादी को यह आशंका है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 से 4 वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करेंगे, विवादित भूमि पर लगातार 31 वर्षों से कब्जा के आधार पर वादी को कानूनी रूप से भूमिस्वामी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं और उक्त परिस्थितियों में वादी ने अपने स्वत्व की रक्षा हेतु यह वाद संस्थित किया है। प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है और अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से वादी के कब्जे में हस्तक्षेप या

विवादित भूमि के अग्रेतर हस्तांतरण की दशा में वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः आवेदन स्वीकार कर वाद के लम्बनकाल तक निषेधित किया जाये कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न करें, न ही करावें और विक्रय या अन्यथा हस्तांतरण न तो स्वयं करें, न ही करावें।

5. प्रतिवादीगण समंस की तामील के बाद भी उपस्थित नहीं हुये हैं और आदेश दिनांक 21.08.2017 से एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसर की गयी है।

6. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-

7. विवादित भूमि पर स्वत्व के संबंध में वादी के अभिवचन को सारतः चार शीर्षों में बांटा जा सकता है—प्रथमतः वादी का यह अभिवचन है कि विवादित भूमि वादी ने अपनी स्वयं की आय से क्रय की थी और सबसे बड़े भाई प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित कराया था, द्वितीयतः वादी और उसके सगे भाईयों रामबरन व प्रतिवादी क्रमांक 1 गुरुबरख सिंह के बीच वर्ष 2000 में हुये घरेलू विभाजन में विवादित भूमि घरेलू बंटवारे में वादी के सगे बड़े भाई प्रतिवादी क्रमांक 1 गुरुबरख सिंह ने वादी को दे दी थी, तृतीयतः वादी का अभिवचन है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपनी सबसे छोटी पुत्री अर्चना के विवाह के समय वादी से एक लाख रुपये प्राप्त कर शीघ्र ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित करने का वचन दिया किन्तु आज तक बयनामा निष्पादित नहीं किया और चौथा व अंतिम आधार यह है कि विवादित भूमि पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.07.1985 से ही लगातार 31 वर्षों से वादी का कब्जा होने से वादी को कानूनन भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।

8. स्वयं वादी के अभिवचन से ही यह तथ्य प्रकट है कि विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.07.1985 से प्रतिवादी क्रमांक 1 गुरुबरख सिंह के नाम पर क्रय की गई है और यह अभिवचन सुआधारित नहीं है कि वादी ने स्वयं की आय से बेनामी संव्यवहार के रूप में विवादित भूमि अपने सगे बड़े भाई प्रतिवादी क्रमांक 1 के

नाम पर क्रय की थी। अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि वर्ष 2000 में घरेलू विभाजन के बाद वादी ने विवादित भूमि पर नामांतरण के संबंध में क्या कार्यवाही की और अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज या राजस्व अभिलेख भी नहीं है जिसमें कि वादी का नाम भूमिस्वामी या यहाँ तक कि कब्जाधारी के रूप में भी दर्ज हो।

9. वादी के विद्वान अधिवक्ता का बलपूर्वक तर्क है कि सरपंच एवं अन्य ग्रामीण के पंचनामा के अनुसार विवादित भूमि पर आज भी वादी का कब्जा है, किन्तु यह स्थापित विधि है कि पंचनामा के आधार पर कब्जा के तथ्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है और अभिकथित पंचनाम किसी भी रूप में कब्जा का साक्ष्य नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि वादी की ओर से प्रस्तुत पंचनामा में इस सुसंगत तथ्य का भी कोई उल्लेख नहीं है कि यह पंचनामा कब और कहाँ पर बनाया गया। अभिकथित पंचनामा के आधार पर प्रथम दृष्ट्या भी यह नहीं माना जा सकता है कि विवादित भूमि पर वादी का स्वत्व या कब्जा है।

10. अभिलेख पर प्रस्तुत अभिवचन एवं दस्तावेजों की पूर्वगामी विवेचना का निष्कर्ष यह है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.07.1985 के अनुसार ही प्रतिवादी क्रमांक 1 गुरुबख्श सिंह विवादित भूमि का क्रेता है, क्रय किये जाने के बाद से ही विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क्रमांक 1 गुरुबख्श सिंह के नाम पर दर्ज रही है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2017 से प्रतिवादी क्रमांक 1 गुरुबख्श सिंह ने विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 2 से 4 के पक्ष में विक्रय कर दी है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2017 के परिवर्णन में मौके पर विवादित भूमि का कब्जा क्रेता प्रतिवादी क्रमांक 2 से 4 को दियो जाने का भी स्पष्ट उल्लेख है। उक्त तथ्य व परिस्थितियों में वादी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है और ऐसी दशा में सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति भी वादी के पक्ष में नहीं मानी जा सकती है।

11. अतः वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)